UPAZ010084112022

**JO CODE UP6447**

**न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), आजमगढ़।**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–४२७१/२०२२**

०१– पवन गौड़ उम्र लगभग २२ वर्ष पुत्र सुरेश गौड़ साकिन महड़ौर का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़। .....आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

उ०प्र० सरकार ..... अभियोगी

**दिनाँक १०.११.२०२२**

आवेदक/अभियुक्त **पवन गौड़** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **मु०अ०सं०–२७४/२०२२, धारा–३७६डी, ३५४, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० व ५जे(२)/६ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ एवं धारा ३(१)द, ३(१)ध, ३(२)५, ३(१)(w)(i) एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना–रौनापार, जनपद आजमगढ़** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **सुरेश** द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रेनू देवी की ननद/पीड़िता की उम्र १६ वर्ष है। लगभग ०९ माह पहले स्कूल जाते समय पवन गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ ग्राम महड़ौर का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने अपने प्रेम जाल में वादिनी की ननद/पीड़िता को फसा लिया एक दिन मिलने के बहाने घर से बाहर बुला कर अपने गांव महड़ौर का पुरा में स्थित फार्म पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व उसका भाई मनोज पुत्र सुरेश व गांव का ही सुनील गौड़ व उधम सिंह ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया। जब पीड़िता के पेट में बच्चा रुक गया तो उसने रोकर सारी बात वादिनी से बतायी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष व निरापराध है। उसे राजनीतिक रंजिशवश मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह जमानत का दुरुपयोग नही करेगा। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी, मनगढन्त व बनावटी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। पीड़िता वयस्क है। वादिनी मुकदमा द्वारा कथन किया गया है कि उसकी ननद से अभियुक्त का नौ माह पहले से प्रेम सम्बंध था और उसके पेट में बच्चा है यदि वादिनी का यह कथन सत्य होता तो अबतक बच्चा पैदा हो जाता जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी किसी घटना का जिक्र नही किया गया है। पीड़िता व उसके पिता तथा परिवार के अन्य लोगों ने बाद में कहा है कि उसकी बहू को कुछ लोगों ने बहला–फुसला कर जबरदस्ती मुकदमा करा दिया इसमें किसी का कोई दोष नही है। अभियुक्त दिनांक १०.०८.२०२२ से जेल में निरुद्ध है। उसका यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या

किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नही है। अतः अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त से साथ मिलकर अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की/पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए सामूहिक बलात्कार किया है, जिससे वह गर्भवती हो गयी है और उसे गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। विवेचक ने अपनी विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पायी है। आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के मुताबिक अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त से साथ मिलकर अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की/पीड़िता के साथ छेड़खानी करने, सामूहिक बलात्कार करने, गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के आक्षेप हैं। पीड़िता के शैक्षणिक अभिलेखों के अनुसार उसकी आयु घटना की तिथि पर १८ वर्ष से कम आती है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा १६४ दं०प्र०सं० में सहअभियुक्त के साथ–साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा भी उसके साथ बलात्कार करना कहा है। विवेचक ने अपनी विवेचना में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ अत्यन्त गम्भीर अपराध किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों, पीड़िता की उम्र, अपराधी की प्रकृति एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित भूमि को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त **पवन गौड़** की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

**दिनांकः १०.११.२०२२**

**(रवीश कुमार अत्री)**
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट)
आजमगढ़।